

	January 1971	April 1971	Percentage change (April 1971 over (January 1971)
Aluminium utensils	148.4	148.4	No change
Pottery goods	138.4	138.4	No change
Toilet requisites	144.5	144.6	+0.1
Soap	144.7	144.7	No change
Lamps & lanterns	160.5	160.5	No change
Matches	114.1	114.1	No change

नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकों में अनुवाद तथा सुदृग संबंधी गलतियाँ

631. श्री विभूति मिश्र : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट ने अनेकों महत्वपूर्ण पुस्तकों का अंग्रेजी में हिन्दी में अनुवाद कराया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि इन अनुवित पुस्तकों में गलतियाँ हैं ;

(ग) क्या नियमी ट्रवर्सैन की "मैंज बड़ली गुड़" (मनुष्य की भौतिक सम्पदाएँ) नामक पुस्तक में भाषा, पारिभाषिक शब्दाश्ली तथा सुदृग सम्बन्धी अनेकों गलतियाँ हैं .

(घ) यदि हाँ, तो उन पुस्तकों के अनुवाद, सम्पादन तथा प्रकाशन के लिये जिसमेंदार अधिकारियों के बिचार क्या कार्यवाही की गयी ; और

(इ) ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति को शोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपर्युक्ती (श्री डॉ. पी. यादव) :

(क) से (इ). नेशनल बुक ट्रस्ट ने अनेक प्रसुत अंग्रेजी पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया है।

उन अनदित मस्करण में गलतियों की भरमार के संभव मत तो नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर नहीं। इस मंत्रालय को कोई शिक्षायत प्राप्त नहीं है।

सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि नियमी हबैरेंग की 'मैंज बड़ली गुड़' (मनुष्य की भौतिक सम्पदाएँ) नामक पुस्तक के अनदित मस्करण में, जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट ने 1965 में प्रकाशित किया था। अनेक गलतियाँ हैं। इसके बिपरीत दो सुप्रसिद्ध हिन्दी विद्वानों ने पाठ्यलिपियों की समीक्षा करने समय बहुत प्रशस्ता की है।

नेशनल बुक ट्रस्ट अनुवाद और प्रकाशन में परियुक्त सुनिश्चित करने का बहुत ध्यान रखता है।

सहकर आदि जमा करने में कठिनाई

632. श्री विभूति मिश्र : क्या नौबहन और परियुक्त संत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सब है कि जनपद नई दिल्ली विधान दिल्ली प्रशासन के परियुक्त अधिकारी के कार्यालय से ड्राइविं लाइसेंस आदि प्राप्त करने और सहकर जमा करने में जनता को कठिनाई हो रही ; है

(ख) क्या यह भी मत है कि उक्त कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों से मिले हुवे अनेक विवाहिये उस कार्यालय के प्राप्तपाल यूमने रहते हैं और उनको कुछ गतिशील धन देने से काम बड़ी आकाशी से हो जाता है। और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नोबहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) . (क) कभी कभी व्यक्तियों को सड़क कर जमा करने के लिये जनपथ व्यायामिय में पक्षित प्रतीक्षा करना पड़ती है और यह स्वामिक है कि उस हृद तक उन्हें असुविधा होती है। तथादि यदि मोटर गाड़ियों के मालिक दिल्ली मोटर कराधान अधिनियम, 1962 में उल्लिखित विभिन्न मापी अवधि वं अत ग शदागणा करने से बचे रहे, और गर सरकारा कार और सूटटर के मालिक कर जमा करने के नायपत नगर पारदर्द मार्ग, पूसा मार्ग ट्रॉयादि के अन्तरिक्ष काउण्टरी से भी नाम उठाने रहे।

परिवालन लाउमेस प्राप्त करने में जनना वी हुई असुविधा को कोई मामला दिल्ली प्रशासन की दृष्टि में नहीं आया है।

(ब) दिल्ली मोटर मार्गी कराधान कर की धारा 4 के अन्तर्गत मोटर गाड़ी का मालिक स्वयम् अधिकारी किसी अधिकर्ता (एजेंट) वे मार्फत कर जमा कर सकता है। अतः यदि बोई मोटर गाड़ी मालिक किसी विचालिया के मार्फत कर भेजता है तो दिल्ली प्रशासन अधिकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठाता है।

छोटी बचत योजनाओं के अधीन जमा राशि

633. श्री जगन्नाथ राव जोशी . क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 के दौरान छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत 183.50

करोड रुपये की बचत हुई जबकि वर्ष 1969-70 के दौरान केवल 127 करोड रुपये की बचत हुई थी।

(ख) यदि हाँ, तो समाज के उन वर्गों का विवरण क्या है जिन्हाँन इस योजना के अन्तर्गत अपनी बचत जमा भी और उन वर्गों के नाम क्या हैं जो इसमें महायाग देने में असफल रहे, और

(ग) स्वतं में सुधार करने के लिए कदम लगाए गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय से उप-मंत्री (श्री मसी सुशीला रोहतगी) (क) हालांकि 1970-71 में अत्यबचत योजना के अन्तर्गत 3कट्ठी की गई रकम के प्रतितम प्राकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी सबसे हाल की सूचना के अनुसार 1970-71 में 188 करोड रुपये की रकम इकट्ठी हुई है जबकि 1969-70 में 127 करोड रुपये की रकम उकट्ठी हुई थी।

(ब) अत्य बचतों से इकट्ठी की गयी रकमों ने आँखे विभिन्न बनत पत्रों और जमा की विकी और विराशी के अनुसार, योजनावार और राज्यवार उपलब्ध है। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा अत्य बचतों में जमा की गयी रकमों के अंकों सम्बन्धी सूचना एकत्रित करना सम्भव नहीं है, इसलिए यह बताना नहीं सम्भव है कि समाज के किस वर्ग ने इसमें सहयोग नहीं दिया है।

(ग) यह प्रश्न पैदा नहीं होता